[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 1/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1305(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 48/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए माल का उपयोग, जब निर्यात, ऐसे निर्यातों के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय माल (शून्य दर या पूर्णतः छूटप्राप्त माल से भिन्न) के विनिर्माण और पूर्ति में किया जाएगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र, केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधिकारिता वाले आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो, ;

परंतु यह और कि यदि निर्यात माल के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा । " ;

(ii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने "पूर्व आयात आधार पर" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं.20/06/17/2018-जीएसटी (भाग क)]

(डॉ. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना सं. 48/2017 -केन्द्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1305 (अ) तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।